Phone/Fax : 0535-2208719
E-Mail : dforbl@yahoo.co.in

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग, रायबरेली

पत्रांक- 7020 /14-10-4 रायबरेली, दिनांक- फरवरी , 04 , 2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, उन्नाव ।

विषय- **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूं में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में ।**

संन्दर्भ- ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/144793/2021, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/643 दिनांक-17.01.2022, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-2142/11-सी-FP/UP/Road/144793/2021 दिनांक-18.01.2022 एवं श्री अरूण कुमार राय, अधिकृत अधिकारी, यूपीडा, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-8689/1832/यूपीडा/20र (वन) दिनांक-31.01.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त प्रयोजन हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में प्रेषित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के द्वारा उल्लिखित कमियों का निराकरण कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नलिखित हैः-

क्र0सं0	उल्लिखित कमियां	कमियों के सापेक्ष अनुपालन आख्या
1-	As per Part II area of PF is coming as 30.6453 ha while as per details provided in the proposal it is 30.8224.	रायबरेली वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
2-	Tree felling is Amroha and Pratapgarh district is mismatching with details of Part-II uploaded and the details provided in proposal.	रायबरेली वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
3-	An abstract of tree felling in all the districts needs to be provided.	रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत बाधक/प्रभावित वृक्षों की सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित की गयी थी, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।
4-	No objection certificate of concerned departments (Irrigation and Railways) needs to be submitted.	प्रयोक्ता अभिकरण (यूपीडा) द्वारा पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
5-	Revised NPV calculation as per order dated 06-01-	संशोधित दरों पर आधारित एन0पी0वी0 का आगणन

	2022 needs to be submitted	संलग्न कर पार्ट-2 में अपलोड कर प्रेषित है।
6-	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	रायबरेली वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
7-	As per part-II of the proposal, under Social forestry Division Allahabad and Social Forestry Division Bulandshahar. It is mentioned at column no.10. "Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project: NIL"	रायबरेली वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
8-	CA scheme and site suitable certificate for CA in DDFL has to be provided.	रायबरेली वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
9-	Why RF cannot be avoided, proper justification needs to be provided.	यूपीडा द्वारा प्रस्तावित परियोजना में दर्शित वन भूमि के अलावा कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है और परियोजना में प्रस्तावित वन भूमि के अलावा कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
10-	As per the .kml File the proposed area for diversion is 50.29 ha., but as per the proposal diversion area is 121.4716 ha., mismatching of the forest area, needs clarification/rectification.	प्रयोक्ता अभिकरण (यूपीडा) द्वारा मिलान कर सुधार कर लिया गया है।
11-	.Kml file of the complete route proposed for diversion (Forest area as well as Non Forest area) needs be submitted.	प्रयोक्ता अभिकरण (यूपीडा) से संबंधित है ।
12-	.kml file of alternate routes needs to be submitted.	प्रयोक्ता अभिकरण (यूपीडा) से संबंधित है ।
13-	The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 94.78 ha., which is less than the actual required CA land area.	रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित कुल 23.5520 हे0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम-हरीपुर एह0, तहसील-लालगंज, जनपद-रायबरेली के अन्तर्गत चयनित 27.2310 हे0 गैर वन भूमि का डी0एस0एस0 एनालिसिस कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आई0टी0), उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-278/12-42-2 (जी0आई0एस0) दिनांक-22.11.2021 द्वारा कराया गया था, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।
14-	As per the Geo-referenced map of the proposed CA land, GPS "point id" is not mentioned in the Haripur Village and Purthiyawan village. This needs rectifications.	यूपीडा द्वारा GPS "point id" को अंकित करते हुए पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
15-	As per the .kml file some CA land polygons have been found in scattered forms and also not contiguous to the forest area. There are 44 patches proposed CA which are of area of area less than 1 ha. Patches need to be in	रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु यूपीडा द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गैर वन भूमि वृक्षारोपण एवं

	consolidated form.	प्रबन्धन की दृष्टि से उपयुक्त है ।
16-	Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.	प्रयोक्ता अभिकरण (यूपीडा) द्वारा पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
17-	The proposed CA land patch of Unnao district (Village-Katholi) is partially overlapped with the area proposed for diversion, this needs rectification.	रायबरेली वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।
18-	Component wise breakup of land required for construction of bridges, underpass, public utility center, toll plaza, Covers over River/ Canals/ Nalas, Pulia, Flyover & Interchanges etc. needs to be provided.	प्रयोक्ता अभिकरण (यूपीडा) द्वारा पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्रकः- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक,
पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,
रायबरेली

पत्रांक- 7020 / तद्दिनांकित

1- प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2- प्रतिलिपि श्री अरूण कुमार राय, अधिकृत अधिकारी, यूपीडा, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक,
पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,
रायबरेली

o/c

Name of Project	Construction of Ganga Expressway, an access controlled Greenfield Expressway in Meerut, Hapur, Bulandshahar, Amroha, Sambhal, Badanyu, Shahjhanpur, Hardoi, Unnao, Raibarely, Pratapgarh and Prayagraj Districts in the state of Uttar Pradesh (FP/UP/ROAD/144793/2021)

Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees as FRL (Raibarely Forest Division)

Sl. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30) cm.	(31-60) cm.	(61-90) cm.	(91-120) cm.	(121-150) cm.	(>151) cm.	Total
1	Azadirachta indica	Neem	1	5	2	4	1	-	13
2	Holoptelea integrifolia	Chilbil	-	1	-	-	-	-	1
3	Prosopis juliflora	Prospis	47228	4	1	-	-	-	47233
4	Dalbergia sissoo	Shisham	-	1	-	-	-	1	2
5	Leucaena leucocephala	Subabool	-	1	-	-	-	-	1
6	Acacia arabica	Babool	-	2	1	-	-	-	3
7	Eucalyptus spp	Eucalyptus	-	-	-	-	1	-	1
8	Neolamarckia cadamba	Kadamb	1	-	-	-	-	-	1
9	Ficus religiosa	Peepal	-	-	-	1	1	-	2
10	Tamarindus indica	Imli	-	1	-	-	-	-	1
	Total		47230	15	4	5	3	1	47258

क्षेत्रीय वन अधिकारी
लालगंज

क्षेत्रीय वन अधिकारी
डलमऊ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सलोन

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लालगंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रायबरेली

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
रायबरेली

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग, रायबरेली

एन0पी0वी0 (नेट प्रेजेन्ट वैल्यू) का आगणन

यूपीडा द्वारा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित कुल 29.7266 हे0 आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष प्रभावित वन भूमि के एन.पी.वी. (नेट प्रेजेन्ट वैल्यू) धनराशि का आगणन-

प्रभावित आरक्षित वन भूमि एवं संरक्षित वन भूमि का विवरण	प्रभावित क्षेत्रफल	इकाई	वानस्पतिक घनत्व	ईको क्लास	दर	धनराशि रु0 में
1	2	3	4	5	6	7
यूपीडा द्वारा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि ।	29.7266	हे0	0.1	III	रु0 957780	रु0 28471542.95 या रु0 28471543.00 (रु0 दो करोड़ चौरासी लाख इकहत्तर हजार पांच सौ तैतालीस)

(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक,
पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,
रायबरेली

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग
रायबरेली

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आई0टी0), उ0प्र0, लखनऊ।

(वेबसाईट–www.upforest.gov.in. ई मेल–apccfit-up@nic.in. फोन न0–0522–2716619)

पत्रांक– 278 / 12–42–2 (जी0आई0एस0), लखनऊ, दिनांक, नवम्बर, 22 2021

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,
रायबरेली।

विषय– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रिज डेवलपमेंट अर्थारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के सर्वेक्षण में (प्रस्ताव सं0–FP/UP/Road/144793/2021) रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित कुल 23.5520 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष यूपीडा द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी 27.2310 हे0 गैर वन भूमि का डी0एस0एस0 एनालिसिस किये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– आपके कार्यालय का पत्रांक–4602 / 14–10–4 रायबरेली, दिनांक, नवम्बर, 12, 2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक् संदर्भित पत्र के क्रम में DSS Analysis के लिए प्रेषित जिओ कोआर्डिनेट / पॉलिगान के विश्लेषण फलस्वरूप उपरोक्त पॉलिगान का निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत गैर वन भूमि के रेंज / तहसील का नाम	चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वन भूमि के ब्लाक एवं कम्पार्टमेंट / गैर वन भूमि का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत गैर वन भूमि का सकल क्षेत्रफल (हे0में)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत गैर वन भूमि का शुद्ध क्षेत्रफल (हे0में)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वन भूमि के DSS Analysis के लिए प्रेषित जिओ कोआर्डिनेट / पॉलिगान के विश्लेषण फलस्वरूप प्राप्त निष्कर्ष		
						पॉलिगान की भौगोलिक स्थिति (दिये गये स्थल का है / दिये गये स्थल से अलग)	के सापेक्ष पॉलिगान का शुद्ध क्षेत्रफल (हे0में)	के सापेक्ष 0.4 अथवा 40 प्रतिशत से कम घनत्व श्रेणी शुद्ध क्षेत्रफल (हे0में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायबरेली वन प्रभाग	लालगंज रेंज / तहसील	हरीपुर एह0	27.2310	27.2310	दिये गये स्थल का है।	27.451	27.451
				27.2310	**27.2310**	**योग**	**27.451**	**27.451**

संलग्नकः–मानचित्र एवं विवरण जी0आई0एस0 10228के सापेक्ष पोर्टल पर अपलोड।

भवदीय,

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी

यूपीडा

सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522–2307542 / 2307592, फैक्स: 0522–4013560, इमेल.upeida2@gmail.com

पत्रांक 8689/1832/यूपीडा/20(वन) दिनांक 31/01/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़, अमरोहा, सम्भल, बदांयू,
शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली
तथा प्रतापगढ़ वन प्रभाग।

विषयः–उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे0 आराक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षें के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः–भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मांगी गयी सूचना का पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/643 दिनांक 17.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0सं0	E.D.S.	कार्यवाही की स्थिति
1.	As per Part II area of PF is coming as 30.6453 ha while as per details provided in the proposal it is 30.8224.	पार्ट–2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संरक्षित वन का क्षेत्रफल 30.8224 हे0 है, जो कि प्रस्ताव में दर्शित क्षेत्रफल के समान है।
2.	Tree felling is Amroha and Pratapgarh district is mismatching with details of Part-II uploaded and the details provided in proposal.	यह बिन्दु प्रयोक्ता एजेन्सी (यूपीडा) से सम्बन्धित नहीं है।
3.	An abstract of tree felling in all the districts needs to be provided.	यह बिन्दु प्रयोक्ता एजेन्सी (यूपीडा) से सम्बन्धित नहीं है।
4.	No objection certificate of concerned departments (Irrigation and Railways) needs to be submitted.	सिंचाई विभाग की एन0ओ0सी प्राप्त हो गयी है, जिसे पार्ट–1 के अतिरिक्त अभिलेखों में अपलोड किया जा रहा है। रेलवे विभाग की एन0ओ0सी0 के लिए आवेदन किया गया है, जो प्राप्त होते ही उपलब्ध करायी जायेगी। यूपीडा की तरफ से उनको उपलब्ध कराने की अण्डर टेकिंग पूर्व में दी

(अरुण कुमार राय)

		जा चुकी है, जो परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 के अतिरिक्त अभिलेखों में अपलोड है।
5.	Revised NPV calculation as per order dated 06-01-2022 needs to be submitted	यह बिन्दु प्रयोक्ता एजेन्सी (यूपीडा) से सम्बन्धित नहीं है।
6.	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पी0पी0पी0 मॉडल पर विकसित की जा रही है। इसके आर0ओ0डब्लू0 क्षेत्र में प्लान्टेशन योग्य लगभग 1653.70 हे0 भूमि उपलब्ध है, जिसपर पौध रोपण कार्य कराया जायेगा। यह कार्य MoRTH/IRC-21 गाईड लाईन एवं सम्बन्धित वन प्रभाग की कार्ययोजना में मार्ग वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित तकनीकी विशिष्टताओं (Technical Specifications) एवं क्षेत्रीय प्रजातियों के अनुरूप होगा। Plantation scheme परिवेश के पार्ट–1 में अपलोड की जा रही है।
7.	As per part-II of the proposal, under Social forestry Division Allahabad and Social Forestry Division Bulandshahar. It is mentioned at column no.10. "Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project: NIL"	उपरोक्त के सम्बन्ध में डी0एफ0ओ0 प्रयागराज एवं बुलन्दशहर के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में कोई भी वन भूमि न आने का प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल के पार्ट–I के अतिरिक्त डाक्यूमेन्ट्स में अपलोड किया गया है।
8	CA scheme and site suitable certificate for CA in DDFL has to be provided.	नोडल अधिकारी, वन विभाग के द्वारा CA के लिये DDFL भूमि चित्रकूट वन प्रभाग में आवंटित की गयी है। डी0एफ0ओ0 चित्रकूट के द्वारा दिया गया भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं वृक्षारोपण योजना को डी0एफ0ओ0, उन्नाव वन प्रभाग (नोडल अधिकारी) के द्वारा परिवेश पोर्टल के पार्ट–2 में बिन्दु–13 पर डी0एफ0ओ0, चित्रकूट वन प्रभाग द्वारा प्रेषित डिग्रेडेड एरिया सी0ए0 स्कीम, क्षेत्रफल 62.00 हे0, कुल धनराशि रू0 37204600.00 को अपलोड किया गया है।
9	Why RF cannot be avoided, proper justification needs to be provided.	उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में जमीदारी उन्मूलन के पश्चात् प्रत्येक राजस्व ग्रामो में कुछ भूमि ग्राम समाज को एवं कुछ भूमि वन भूमि के रूप में आवंटित की गयी थी, जिसे कालान्तर में सरकार ने आरक्षित वन के रूप में नोटीफाई किया। इस प्रकार अधिसंख्य ग्रामों में यत्र–तत्र छोटे–बडे टुकडों में वन भूमि आ जाती है। गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में इन्ही ग्रामों में आ रही वन भूमि प्रभावित हो रही है, जो कि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।
10	As per the kml File the proposed area for diversion is 50.29 ha., but as per the proposal diversion area is 121.4716 ha., mismatching of the forest area, needs clarification/rectification.	kml File का मिलान करते हुए प्रभावित वन क्षेत्र 121.4716 हे0 का सुधार कर लिया गया है।

(अरूण कुमार राय)
[illegible] अधिकारी

11	Kml file of the com plete route proposed for diversion (Forest area as well as Non Forest area) needs be submitted.	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में जिन 9 वन प्रभागों की वन भूमि प्रभावित है के वन क्षेत्रों एवं गैर वन क्षेत्रों की kml File परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। जिन वन प्रभागों/जनपदों में वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है वहाँ की केवल गैर वन भूमि (NFL) की kml file को अपलोड करने का प्राविधान परिवेश पोर्टल पर नहीं है। अतः उसकी kml file की सी0डी0 उपलब्ध करायी जा रही है।
12	kml file of alternate routes needs to be submitted.	परिवेश पोर्टल पर alternate routes की kml file को अपलोड करने का प्राविधान नहीं है। अतः उसकी kml file की सी0डी0 उपलब्ध करायी जा रही है।
13	The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 94.78 ha., which is less than the actual required CA land area.	परियोजना से प्रभावित आरक्षित वन के सापेक्ष यूपीडा के द्वारा 94.3289 हे0 NFL वन विभाग को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका GIS-DSS analysis का मिलान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 62 हे0 DDFL चित्रकूट वन प्रभाग में नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा सी0ए0 हेतु आवंटित की गयी है। GIS-DSS analysis का मिलान APCCF (IT) उ0प्र0 के द्वारा अपने पत्र संख्या 304/12–42–2(जी0आई0एस0) दिनांक 02.12.2021 से किया गया है, जिसके अनुसार सकल क्षेत्रफल 90.1528 हे0 मे से 71.14 हे0 शुद्ध क्षेत्र जिसका घनत्व 0.4 से कम है सी0ए0 हेतु उपलब्ध है। APCCF (IT) उ0प्र0 का पत्र परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 में अपलोड किया जा रहा है। इस प्रकार प्रभावित वन क्षेत्र 121.4716 हे0 के स्थान पर 156.3289 हे0 शुद्ध सी0ए0 भूमि जिसका घनत्व 0.4 से कम है, उपलब्ध है।
14	As per the Geo-referenced map of the proposed CA land, GPS "point id" is not mentioned in the Haripur Village and Purthiyawan village. This needs rectifications.	GPS "point id" के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। हरीपुर एवं पुरथियावां ग्रामों के Geo-referenced map में GPS id को अंकित करते हुए पार्ट–1 में अपलोड कर दिया गया है।
15	As per the kml file some CA land polygons have been found in scattered forms and also not contiguous to the forest area. There are 44 patches proposed CA which are of area of area less than 1 ha. Patches need to be in consolidated form.	यूपीडा के द्वारा 4 जनपदों के 18 ग्रामों में उपलब्ध कुल 90.6492 हे0 आरक्षित वन के स्थान पर मात्र 12 ग्रामों में 94.3309 हे0 गैर वन भूमि (NFL) वन विभाग को उपलब्ध करायी जा रही है। उदाहरण के लिए रायबरेली वन प्रभाग के 4 ग्रामों में स्थित 23.5520 हे0 RF के स्थान पर 1 ही ग्राम में 27.2310 हे0 NFL उपलब्ध कराया जा रहा है। सम्बन्धित एस.डी.एम एवं डी.एफ.ओ. के द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षा एवं प्रबन्धन की दृष्टि से NFL का उपयुक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही उक्त गैर वन भूमि (NFL) यूपीडा के द्वारा प्राप्त कर राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा दी गयी है, जिसकी खतौनियां व अभिलेख परिवेश पोर्टल पर भी अपलोड किये गये हैं।
16	Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be	CA land का Geo-referenced cadastral map उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको कि परिवेश

(अरुण कुमार राय)

	submitted.	पोर्टल के पार्ट–1 में अपलोड किया जा रहा है।
17	The proposed CA land patch of Unnao district (Village-Katholi) is partially overlapped with the area proposed for diversion, this needs rectification.	जनपद–उन्नाव के ग्राम–कैथोली के CA land की के0एम0एल0 फाईल का सुधार कर लिया गया है।
18	Component wise breakup of land required for construction of bridges, underpass, public utility center, toll plaza, Covers over River/ Canals/ Nalas, Pulia, Flyover & Interchanges etc. needs to be provided.	यह सूचना परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 के अतिरिक्त अभिलेख में अपलोड कर दी गयी है।

भवदीय

(अरूण कुमार राय)
अधिकृत अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ